रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062021-227380
CG-DL-E-04062021-227380

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1985] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 2021/ज्येष्ठ 13, 1943
No. 1985] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 2021/JYAISHTHA 13, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

का.आ. 2139(अ).—भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 460(अ), तारीख 30 मार्च, 2006 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में सं. 308, तारीख 30 मार्च, 2006 के तहत प्रकाशित की गई थी, की तालिका में क्रम सं. 46ए के सामने शब्दों, संख्याओं और अक्षरों "एनई II" के लिए कॉलम 2 में शब्दों, संख्याओं और अक्षरों को "एनई 2" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 460(अ), दिनांकित 30 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/06/2021-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd June, 2021

S.O. 2139(E).— In the table to the notification of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 460(E) dated 30th March, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number 308 dated 30th March, 2006, against serial number 46A, in column 2 for the words, figures and letters "NE II", the words, figures and letters **"NE 2"** shall be substituted.

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 460(E) dated 30th March, 2006.

[F. No. NH-14012/06/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

का.आ. 2140(अ).—भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 461(अ), तारीख 30 मार्च, 2006 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में सं. 308, तारीख 30 मार्च, 2006 के तहत प्रकाशित की गई थी, की तालिका में शब्दों, संख्याओं और अक्षरों "एनई II" के लिए कॉलम 1 में शब्दों, संख्याओं और अक्षरों को "एनई 2" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 461(अ), दिनांकित 30 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/06/2021-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd June, 2021

S.O. 2140(E).—In the table to the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 461(E) dated 30th March, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number 308 dated 30th March, 2006, in column 1 for the words, figures and letters "NE II", the words, figures and letters **"NE 2"** shall be substituted.

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 461(E) dated 30th March, 2006.

[F. No. NH-14012/06/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

का.आ. 2141(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148एन और उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम सं. 524 के सामने विनिर्दिष्ट की गई संबंधित प्रविष्टियों का अनुसूची से लोप करती है।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) के लिए अनुसूची का प्रतिस्थापन, अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 के तहत किया गया था जिसे दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और उसके बाद अधिसूचना का.आ. सं. 1948(अ), दिनांकित 21 मई, 2021 के तहत इसे आगे और संशोधित किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14012/06/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2021

S.O. 2141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits New National Highway No. 148N and the entries relating thereto specified against serial number 524 in the Schedule to the said Act from the Schedule.

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1494 (E), dated 7th April, 2021.

[F. No. NH-14012/06/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

का.आ. 2142(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3 उप खंड-(ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

इस अनुसूची में, क्रम सं. 549, 562 और 566 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्था पित किया जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

क्र.सं .	**नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.**	**राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण**
(1)	(2)	(3)
549	148एनए	मंडकौला के पास एनई 4 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर सहराला, कैलगांव के पास रारा-44 का जंक्शन और हरियाणा राज्य में हरियाणा / दिल्ली सीमा, मीठापुर, अलीगांव, ओखला, महारानी बाग के पास डीएनडी को जोड़ने वाला और दिल्ली राज्य में सराय काले खां के पास नए एनई 3 के साथ रिंग रोड के अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
562	एनई4	सोहना के पास नए रारा-248ए के साथ इसके जंक्शन से शुरू होकर हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका, राजस्थान राज्य में दौसा, लालसोत, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, मध्य प्रदेश राज्य में जावरा, रतलाम, गुजरात राज्य में दाहोद, गोदरा, डोडका (वडोरा), भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी, संघ राज्य क्षेत्र दादर और नगर हवेली में सिलवासा, महाराष्ट्र राज्य में विरार, भिवंडी, कल्याण, बंदलापुर को जोड़ने वाला और जेएनपीटी में पनवेल के पास नया रारा सं. 348 के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन)।
566	752डी	क्षिप्रा पुल (लोहार पिपलिया गांव) के पास रारा सं. 52 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होने वाला, जिसमें बदनावर की ओर 3.200 किमी का स्पर मार्ग और उज्जैन को जोड़ने वाला देवास की ओर 7 किमी का स्पर मार्ग शामिल है और राजस्थान राज्य से गुजरने के बाद मध्य प्रदेश राज्य में गरोठ के पास एनई 4 के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और इसके बाद अधिसूचना सं. का. आ. 1948 (अ), दिनांकित 21 मई, 2021 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/06/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2021

S.O. 2142(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 549, 562 & 566 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
549	148NA	The highway starting from its junction with NE 4 near Mandkaula connecting Sahrala, Junction of NH-44 near Kail Gaon, Haryana/Delhi border in the state of Haryana, Meethapur, Aali Gaon, Okhla, DND near Maharani Bagh and terminating at its junction of Ring Road with new NE 3 near Sarai Kale Khan in the state of Delhi.
562	NE 4	The Expressway (under construction) starting from its junction with new NH-248A near Sohna connecting Firozpur Jhirka in the state of Haryana, Dausa, Lalsot, Sawai Madhopur, Kota, Jhalawar in the state of Rajasthan, Jaora, Ratlam in the state of Madhya Pradesh, Dahod, Godra, Dodka (Vadora), Bharuch, Surat, Navasari, Valsad, Vapi in the State of Gujarat, Silvasa in the Union Territory of Dadar and Nagar Haveli, Virar, Bhiwandi, Kalyan, Bandlapur and terminating at its junction with new NH No. 348 near Panvel at JNPT in the State of Maharashtra.
566	752D	The highway starting from its junction with NH No. 52 near Kshipra Bridge (Village Lohar Piplia) including spur of 3.200 Km towards Badnewar and a spur of 7 Km towards Dewas connecting Ujjain and terminating at its junction with NE 4 near Garoth in the state of Madhya Pradesh after passing through the state of Rajasthan.

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1948 (E), dated 21st May, 2021.

[F. No. NH-14012/06/2021-P&M]]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.04 20:01:59 +05'30'